

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/शि.क./ए/64/10/180

भोपाल, दिनांक 23/3/10

// संशोधित आदेश //

संचालनालय लोक शिक्षण के आदेश क्रमांक/शि.क./सवि/ए/64/2010/113 दिनांक 23.3.2010 द्वारा श्रीमती प्रीति श्रीवास्तव अध्यापक शासकीय माध्यमिक शाला खरई जिला शिवपुरी को नगर पालिका परिषद राघौगढ जिला गुना के अन्तर्गत शा उ मा वि रूठियाई के लिये सविलियन की अनुमति प्रदान की गई थी ।

उक्त आदेश के कालम नं. 6 में टंकण त्रुटि से दिनांक 12.10.10 टंकित हो गया है । अब उसके स्थान पर दिनांक 12.10.09 पढा जावे । आदेश की शेष शर्तें यथावत रहेंगी ।

उप संचालक 30/3/10

लोक शिक्षण मध्य प्रदेश

भोपाल, दिनांक 23/3/10

पृष्ठा क्रमांक/शि.क./ए/64/10/180

प्रतिलिपि:-

1. कलेक्टर, जिला शिवपुरी/गुना मध्यप्रदेश।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत शिवपुरी/गुना मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. जिला शिक्षा अधिकारी शिवपुरी/गुना मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. श्रीमती प्रीति श्रीवास्तव अध्यापक शासकीय माध्यमिक शाला खरई जिला शिवपुरी की ओर सूचनार्थ ।

उप संचालक 30/3/10

लोक शिक्षण मध्य प्रदेश